M.Y.K (1)

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

२००००

रुपये

Rs. 20000 रु. INDIA NON JUDICIAL Rs. 20000 रु.

035555

उत्तरांचल UTTARANCHAL

(1)

दाननामा

Secretary
Darwin Educational
(Regd.)
Shop

(क्रमशः पृष्ठ – 2)

(2)

[illegible]

17 SEP 2010

[illegible]

3

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तरांचल UTTARANCHAL (2) A 731019

दानदाता का नाम	–	डार्विन कालेज आर्फ प्रोफेशनल स्टडीज (प्रा0) बाजपुर द्वारा श्री संजीव कुमार अग्रवाल पुत्र श्री ईश्वरचन्द, सचिव, डार्विन एजुकेशनल वैलफेयर सोसाइटी, (रजि0) रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंहनगर।
दानग्रहीता का नाम	–	मयंक कालेज ऑफ एजुकेशन, बिचपुरी, बाजपुर, तहसील बाजपुर द्वारा रविन्द्र यादव पुत्र स्व0 श्री सुजान सिंह, अध्यक्ष, सिसोटिया, एजुकेशनल सोसायटी, मानेसर, गुडगांव, जिला गुडगांव (हरियाणा)।
दान की गयी सम्पत्ति की सड़क से दूरी	–	रूद्रपुर – काशीपुर मुख्य मार्ग से लगभग 220 दूरी की पर स्थित भूमि।

Secretary
Darwin Educational
Regd.
Shop N ... Complex

(क्रमशः पृष्ठ – 3)

(4)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तरांचल UTTARANCHAL (3) A 731020

दाननामा मूल्यांकित	—	3,85,080/— रुपये
कुल देय स्टाम्प	—	0,28,100/— रुपये
दर	—	9,50,000/— रुपये प्रति हैक्टेयर

मैं कि **संजीव कुमार अग्रवाल** पुत्र श्री ईश्वरचन्द, सचिव, **डार्विन एजुकेशनल वैलफेयर सोसायटी** (रजि0) का "दानदाता" (जिन्हें 3 [illegible] लकर "प्रथम पक्ष" कहा गया है) हूँ। जो कि डार्विन कालेज आर्फ प्रोफेशनल स्टडीज (प्रा0) बाजपुर, जिला ऊधमसिंहनगर **डार्विन** एजुकेशनल वैलफेयर सोसायटी, (रजि0) शॉप नम्बर – 64, प्रथम तल, डी – 1, डी – 2, सिविल लाइन्स, गुरु अंगददेव काम्पलैक्स, रुद्रपुर, पो0 रुद्रपुर, तहसील किच्छा, जिला ऊधमसिंहनगर द्वारा प्रबन्धित है। जो कि प्रथम पक्ष अर्थात दानदाता (**डार्विन एजुकेशनल वैलफेयर सोसायटी**) की आराजी नम्बरी जैल बाके मौजा **बिचपुरी**, तहसील बाजपुर, जिला ऊधमसिंहनगर स्थित भूमि वर्ग 1 (क) संक्रमणीय भूमिधरी की हर तरह पर कराई श्री पा[illegible] साफ है व राजस्व भू – अभिलेखो में

(क्रमशः पृष्ठ – 4)

Darwin Educational

(5)

Book No. 1 Registration Year 2010 Registration No. 5,679

27 SEP 2010

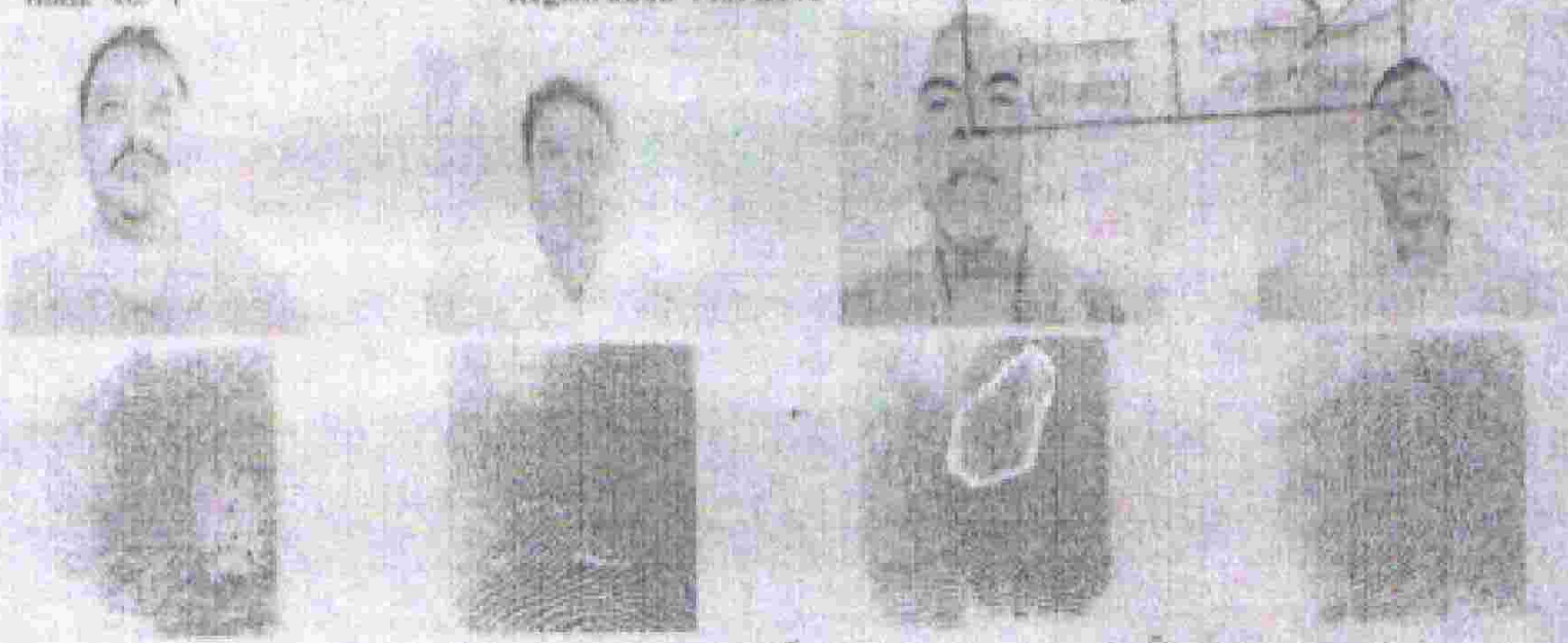

संजीव कुमार अग्रवाल	रविन्द्र यादव	दिनेशचन्द्र शर्मा	राजीव बंसल

उपरोक्त साक्षीगण भद्र प्रतीत होते हैं । सभी के अंगुष्ठ चिन्ह नियमानुसार लिये गये है ।

उपनिबन्धक बाजपुर

23 Sept 2010

(6)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तरांचल UTTARANCHAL (4) A 731021

प्रथम पक्ष (डार्विन एजुकेशनल वैलफेयर सोसायटी) के नाम पर दर्ज अभिलेख है। जिस पर प्रथम पक्ष (डार्विन एजुकेशनल वैलफेयर सोसायटी) का पूर्ण स्वामित्व व अधिकार है। यह भूमि प्रथम पक्ष द्वारा अपनी स्वयं की सहायता व सेवाओं के कार्यों के अनुरूप दानस्वरूप प्राप्त की गयी है और अपनी आराजी नम्बरी जैल से सम्बन्धित समस्त हक व दायित्व तथा स्वत्व प्रथम पक्ष (डार्विन एजुकेशनल वैलफेयर सोसायटी) को हैं और इसे अन्तरित करने का प्रथम पक्ष को पूर्ण अधिकार है और प्रथम पक्ष की यह सम्पत्ति हर प्रकार के ऋण व भार एवं वाद – विवाद से मुक्त है। वर्तमान समय मैं अपरिहार्य कारणों से प्रथम पक्ष (डार्विन एजुकेशनल वैलफेयर सोसायटी) इस पुनीत कार्य को सुचारू रूप से चला पाने में असमर्थता का अनुभव कर रही है जबकि संस्था अपने नियमों व उद्देश्यों के प्रति पूर्णतः वफादार है। इस कारण प्रथम पक्ष (डार्विन एजुकेशनल वैलफेयर सोसायटी) अपने नियमों व उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये प्रश्नगत सम्पत्ति को क्षेत्र के विकास के लिये अपनी निम्नलिखित भूमि (सम्पत्ति) जिसका विवरण इस दाननामे के अन्त में दिया गया है को मयंक कालेज आफ एजुकेशन, बिचपुरी, बाजपुर, तहसील बाजपुर, जिला ऊधमसिंहनगर द्वारा रविन्द्र यादव

Darwin Educational ... (Regd.)

Shop ... Complex

(क्रमशः पृष्ठ – 5)

(7)

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA
रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES
पाँच सौ रुपये Rs. 500
INDIA NON JUDICIAL

उत्तरांचल UTTARANCHAL (5) A 731022

पुत्र स्व0 श्री सुजान सिंह, **अध्यक्ष, रिसोटिया एजुकेशनल सोसायटी, मानेसर गुडगांव, जिला गुडगांव (हरियाणा)** के पक्ष में दान करता हूँ। इस दाननामे की स्वीकारोक्ति **श्री रविन्द यादव** पुत्र स्व0 श्री सुजान सिंह, अध्यक्ष, **सिसोटिया एजुकेशनल सोसायटी, मानेसर गुडगांव, जिला गुडगांव (हरियाणा)** "दानग्रहीता" (जिसे आगे चलकर "द्वितीय पक्ष" कहा गया है) द्वारा प्रदान की गयी है। द्वितीय पक्ष (दानग्रहीता) संस्था शिक्षा एवं सामाजिक सेवा संस्थान (कार्यो) से सम्बन्धित है और प्रथम पक्ष (दानदाता) एवं द्वितीय पक्ष (दानग्रहीता) दोनों ही संस्थाओं की नीति क्षेत्र में शिक्षा का प्रचार – प्रसार व उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। दान की हुई सम्पत्ति का मूल्य प्रथम पक्ष (दानादाता) ने "द्वितीय पक्ष" (दानग्रहीता) को माफ कर दिया है। दान की गई सम्पत्ति को अपने स्वत्व व अधिकार से निकालकर कब्जा "द्वितीय पक्ष" (दानग्रहीता) अर्थात उपरोक्त शिक्षण संस्थान का करवा दिया है। **अब दानग्रहीता अर्थात** मयंक कालेज आफॅ एजुकेशन, बिचपुरी, बाजपुर,

(क्रमशः पृष्ठ – 6)

8

17 SEP 2010

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तरांचल UTTARANCHAL (6) A 731023

तहसील बाजपुर, जिला ऊधमसिंहनगर को निम्नलिखित सम्पत्ति से सम्बन्धित समस्त अधिकार प्राप्त हो गये हैं। द्वितीय पक्ष अर्थात दानग्रहीता उपरोक्त शिक्षण संस्थान जब भी चाहे अपनी सुविधानुसार इस विलेख – पत्र (दाननामा) के आधार पर अपना नाम व स्वत्व राजस्व भू – अभिलेखों में अंकित करा लें। अब या आज से दान की गयी सम्पत्ति से प्रथम पक्ष (दानदाता) अथवा इस संस्था के किसी भी अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी आदि का कोई सम्बन्ध या सरोकार नहीं रह गया है। आइन्दा अगर कोई शख्स या संस्था का कोई भी अधिकारी, पदाधिकारी या कर्मचारी आदि दान की हुई सम्पत्ति पर किसी भी तरह का कोई हक या दावा पेश करेगा तो वह कतई नाजायज, गैर कानूनी व अमान्य होगा। क्योंकि दान की हुई सम्पत्ति प्रथम पक्ष (दानदाता) द्वारा क्षेत्र में शिक्षा के प्रचार – प्रसार व उच्च शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु दानस्वरूप प्राप्त की गयी थी और हर प्रकार के कानूनी विवादों से मुक्त है। द्वितीय पक्ष (दानग्रहीता) संस्था शिक्षा, सामाजिक सेवा एवं स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से शिक्षा का प्रसार एवं सामाजिक शिक्षा व सेवा करने के लिये वचनबद्ध है और इसी उद्देश्य से यह सोसायटी (संस्था) बनायी गयी है।

(क्रमशः पृष्ट – 7)

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA
रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES
पाँच सौ रुपये Rs. 500
INDIA NON JUDICIAL

उत्तरांचल UTTARANCHAL (7) A 731024

– दान की गई सम्पत्ति का विवरण –

खाता सख्या	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)	लगान
17	6/8 मिन	0.405 हैक्टेयर (शून्य दशमलव चार शून्य पाँच शून्य हैक्टेयर)	10.00/– रुपये

ग्राम – **बिचपुरी**, तहसील बाजपुर, जिला ऊधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड।

Secretary
Darwin Educational
Welfare ... Regd.
Shop No. ... Dist. Complex

(क्रमशः पृष्ठ – 8)

(11)

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये FIFTY RUPEES

रु.50 Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तरांचल UTTARANCHAL

(8)

A 611145

अन्य विवरण – तहसील बाजपुर के क्षेत्रान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के ग्राम बिचपुरी की भूमि। दान की गयी सम्पत्ति रूद्रपुर – काशीपुर मुख्य मार्ग से लगभग 220 मीटर की दूरी पर स्थित है। दान की गयी सम्पत्ति के हदूदर्वा – पूरब में पी0डी0जी0 कालेज की भूमि, पश्चिम में एस0डी0 कालेज आफ एजुकेशन की भूमि, उत्तर में श्रीमती परमजीत कौर पत्नी श्री [illegible]न्दर सिंह आदि की भूमि तथा दक्षिण में स्कूल व स्टेडियम की भूमि है। बिक्रीत आराजी में वर्तमान समय में किसी प्रकार का कोई पेड़, निर्माण, आबादी अथवा बोरिंग आदि नहीं है तथा विक्रीत आराजी सीलिंग से प्रभावित नहीं है। विक्रीत आराजी का इन्तखाब खतौनी व खसरा बैनामे के साथ प्रस्तुत है। दान की गयी सम्पत्ति पर किसी भी बैंक, सहकारी सोसाइटी अथवा संस्था का कोई ऋण देय नहीं है तथा दान की गयी सम्पत्ति हर

Secretary
Darwin Educational
W[illegible] Soci[illegible] (Regd.)
Shop N[illegible] [illegible] Dev. Complex
RUDRAPUR

(क्रमशः पृष्ठ – 9)

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50 FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तरांचल UTTARANCHAL

(9)

A 611146

प्रकार के वाद – विवाद एवं भार से मुक्त है। दानदाता (प्रथम पक्ष) तथा दानग्रहीता (द्वितीय पक्ष) दोनों ही पक्षकारान भारत के नागरिक हैं एवं दोनों पक्षों ने एक दूसरे की पहचान सुनिश्चित कर ली है। दान की गयी सम्पत्ति के अन्तरण के सम्बन्ध में किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। दान की गयी सम्पत्ति के अन्तरण मे दानदाता (प्रथम पक्ष) एवं दानग्रहीता (द्वितीय पक्ष) द्वारा उत्तराखण्ड भू – सशोधन अधिनियम संख्या 29 वर्ष 2003 की किसी भी धारा अथवा उपधारा का उल्लंघन नहीं किया गया है। यदि इस अन्तरण में किसी भी विधि या उपविधि का उल्लंघन पाया जाता है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं पक्षकारानं (दानकर्ता एवं दानग्रहीता) का होगा।

प्रश्नगत कृषि भूमि का अन्तरण दोनों ही पक्षों को मान्य व स्वीकार्य है।

Secretary
Darwin Educational
... (Regd.)
Shop N... Dev. Complex

(क्रमशः पृष्ठ – 10)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तरांचल UTTARANCHAL

051826

(10)

लिहाजा यह दाननामा दिनांक 28–09–2010 ई० को तहरीर करा दिया कि सनद् रहे और वक्त जरूरत काम आवे।

– कर्त्तागण –

(प्रथम पक्ष) (द्वितीय पक्ष)

साक्षी – 1
दिनेशचन्द शर्मा
दस्तावेज लेखक, बाजपुर,
तहसील बाजपुर, जिला ऊधमसिंहनगर।

साक्षी – 2
राजीव बंसल,
एडवोकेट, बाजपुर,
तहसील बाजपुर, जिला ऊधमसिंहनगर।

मजमूनकर्ता एवं टाइपकर्ता –
दिनेशचन्द शर्मा,
दस्तावेज लेखक, तहसील बाजपुर।

01.4.09 3/12.12
500/-

...एजुकेशनल सोसायटी मानेसर
गुड़गांव (हरियाणा)

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्हः-

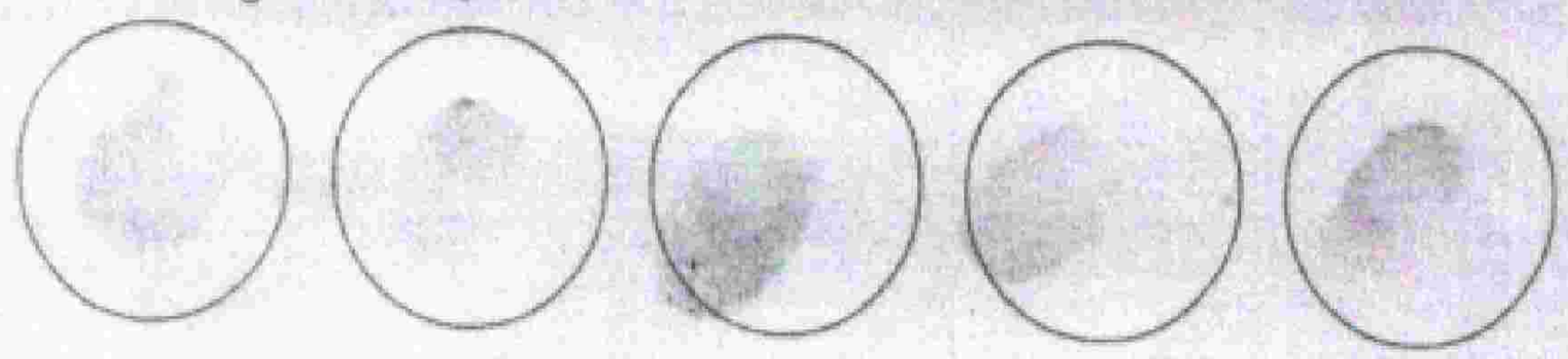

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्हः-

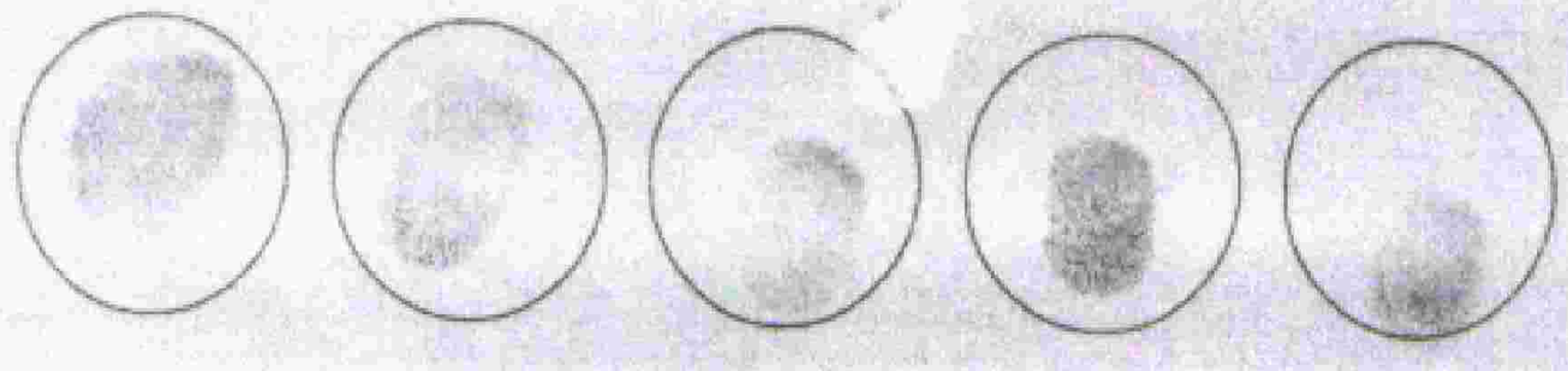

दानग्रहिता | प्रस्तुतकर्ता/~~विक्रेता/क्रेता~~ के हस्ताक्षर

दानदाता ~~विक्रेता/क्रेता~~ का नाम व पताः संजीव कुमार गुवाल S/o श्री ईश्वरचन्द
सचिव, डार्विन एजुकेशनल वेलफेयर सोसायटी (रजि०)
रूद्रपुर (ऊधमसिंह नगर)

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्हः-

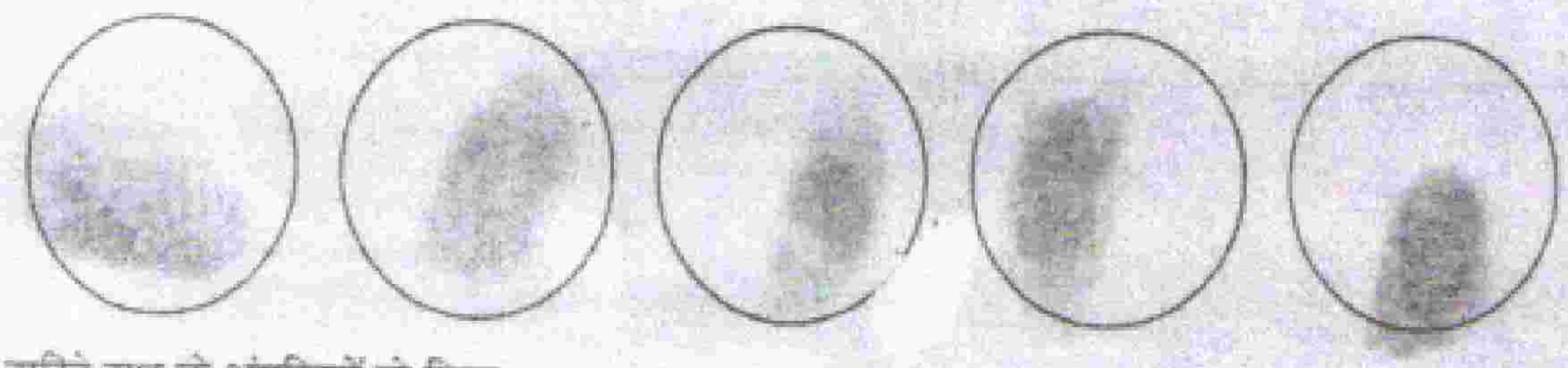

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्हः-

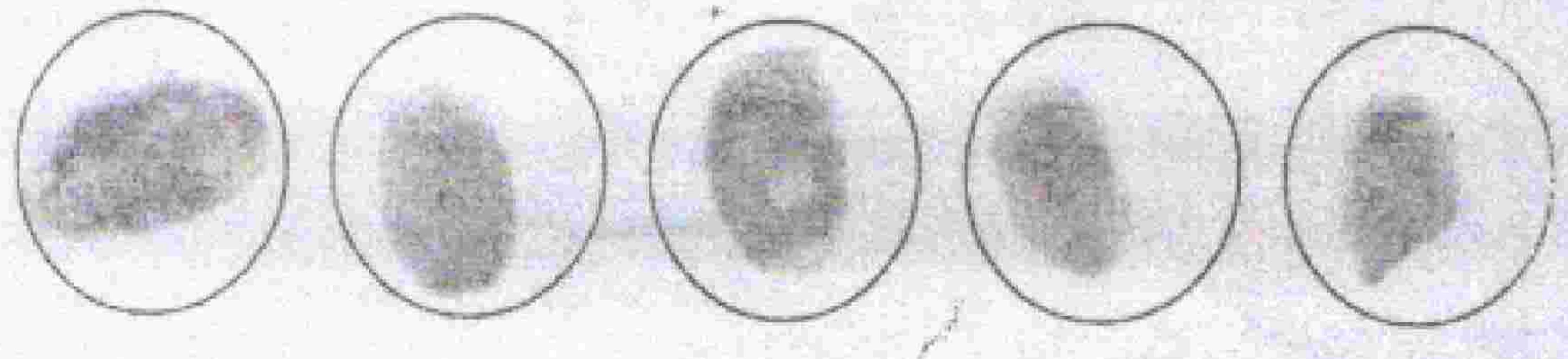

दानदाता ~~विक्रेता/क्रेता~~ के हस्ताक्षर

15

आज दिनांक 28-Sep-2010 1:31 pm को बही न० 1 इलैक्ट्रोस्टेट जिल्द न० 880 के पृष्ठ 343 से 364 में नम्बर 5,679 पर रजिस्ट्रीकृत किया गया।

28 Sept 2010

उप निबन्धक बाजपुर